सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चम्पालाल जीनगर, RAS

प्रकरण सं. 3409/2016 प्रार्थना पत्र

1– रतनलाल पिता चम्पालाल जाट, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
2– रोशनलाल पिता चम्पालाल जाट, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
3– श्रीमती चारूमति पत्नी रोशनलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन।
4– श्रीमती मोहनी बाई पत्नी रतनलाल जाट, आयु वयस्क, निवासी लसड़ावन, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थीगण

//बनाम//

1– शाबीर खां पिता अलीशेर खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी।
2– फरियाद पिता शाबीर खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी।
3– फिरोज पिता शाबीर खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी।
4– बाबु खां पिता अलीशेर खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी।
5– आबिद खां पिता अलीशेर खां मुसलमान, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी।
6– रमेश पिता शंकर गिरी गोस्वामी, आयु वयस्क, निवासी चंगेडी, तहसील निम्बाहेड़ा।

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि.

निर्णय दिनांक 20.02.2018

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात वाके मौजा चंगेडी की खाता संख्या 67 की आराजी नं. 170 रकबा 1.5400 हेक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण बिना किसी हक अधिकार के नाजायज रूप से प्रार्थीगण से विवाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात से बेदखल करने का नाजायज प्रयास कर रहे हें। जबरन प्रार्थीगण की आराजीयात में नीवें खोद कर निर्माण कार्य करने पर आमदा हें तथा समझाने बुझाने पर भी नहीं मान रहे हैं। इसलिए विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। चूंकि मूल वाद के निर्णय में समय लगेगा, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। विपक्षीगण मय अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा जवाब प्रार्थना

पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण ने झुठे व मनगढंत तथ्यों पर दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जहां प्रार्थीगण की जमीन है वहां कंजर व बावरी समाज के व्यक्तियों के मकान बने हुए हैं तथा इन लोगों से खौफ खाकर प्रार्थीगण कब्रिस्तान व समाधियों की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं जबकि उक्त कब्रिस्तान लगभग 50–60 साल पुराने हैं जिस पर आने जाने के लिए पट्टी पठार रास्ता भी बना हुआ है। मौके पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विशेष कथन में विपक्षीगण ने अंकित किया है कि ग्राम चंगेडी की आराजी नं. 150 पर कब्रिस्तान व समाधियों बनी हुई है जो लगभग 50–60 साल पुरानी है तथा गांव में इसके अलावा कहीं भी कब्रिस्तान व समाधियां नहीं है। प्रार्थीगण गलत तरीके से कब्रिस्तान व समाधियों की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारीज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थीगण ने नकल जमाबन्दी संवत 2072–75 ग्राम चंगेडी की खाता संख्या 67 की छायाप्रति, नक्शा ट्रेस की छायाप्रति प्रस्तुत की है। नकल जमाबन्दी अनुसार विवादित भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण ने अपने जवाब के पक्ष में ग्राम पंचायत लसड़ावन द्वारा पट्टा अलीशेर खां, सादिक खां, शाबीर खां, बालुगिरी आदि केक नाम जारी आबादी पट्टे की छायाप्रतियां, मौके पर निर्मित मकानों के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये हैं। बहस पर मनन किया गया। पूर्व में हमारे द्वारा विवादित भूमि का मौका निरीक्षण भी किया गया था जिसमें विवादित भूमि पर विपक्षीगण के मकानात बने हुए हैं जो काफी पुराने हैं। इसी प्रकार मौके पर कब्रिस्तान व समाधियां भी स्थित होकर काश्त के कोई साक्ष्य नहीं है। मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है। बिना कब्जे के प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विधिक सहायता योग्य नहीं होने से खारीज किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 20.02.2018 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

(चम्पालाल जीनगर)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official